फर्द अहकाम

[नियम 26]

उपखण्ड अधिकारी, अलवर   मुकाम अलवर

राजमल   बनाम   पुरणसिंह

मा ....नं० ....सन् ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8 पत्रावली न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय अलवर से इस निर्देश के साथ प्रतिप्राप्त की है कि अपीलान्ट को पक्षकार मुकदमा बनाकर शीघ्र निर्णय पारित करें। चूंकि निर्णय दिनांक 17-5-18 भी इन्हीं पक्षकारान व वही आराजी का है तथा उसमें भी अपीलान्ट को नहीं सुना गया। ऐसी स्थिति में दोनों ही प्रकरणों को एक साथ करके निर्णय पारित करना है। उभय पक्षों को सम्मन किया गया है कि वे इस न्यायालय में दिनांक 6/8/18 को उपस्थित हों। तहत अदालत उभय पक्षों को सुनकर गुणावगुण पर शीघ्र निर्णय पारित करें। उभय पक्ष उप./ वास्ते पेश करने मरम्मत सवाल दिनांक 28-8-18 को पेश हो।	
उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज०)	
28/8/18	
पत्रावली पेश। वकील प्रतिवादी ने प्रा. पत्र मरम्मत सवाल मृतक राजमल पेश किया। पी० अ० अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं। दिनांक 5/9/18 को पेश हो।	
5/9/18 वकील वादी/वकुलाय उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/9/18 को पेश हो। रीडर	
25/9/18 वकील वादी/वकुलाय उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 8/10/18 को पेश हो।	

रीडर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
25/9/18	उभय पक्ष उप./ P0 साक्ष अन्य प्रशा. कार्यो में व्यस्त है। दि. 8-10-18 कार्यवाही
8-10-18	उभय पक्ष उप./ वकील प्रति. ने प्रा.पत्र O7R11 CPC पेश किया/ वकील प्रति. ने उक्त प्रा.पत्र बाद राहमत्ता/ फुरजाफिद मय पेश किया/ नकल दी गई/ बाद फुरजाफिद/ हलीफ में वकील प्रति. ने न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल राज. अजमेर के स्थगन आदेश की प्रति पेश की/ P0 सा. अन्य प्रशा. कार्यो में व्यस्त है। दि. 12-11-18 कार्यवाही हो।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/2/22 पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर से प्राप्त हुई। दर्ज रजि. हो। पक्षकारान जरिये कोर्ट नोटिस तलब हो। दिनांक 8.3.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज०)	
8.3.22 पत्रावली पेश। उभय पक्ष तलब हो कर दिनांक 25/3/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज०)	
25/3/22 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से श्री प्यारेलाल सिंह Adv. ने व.ना. दी। वास्ते पेश करने व.नामा दिनांक 13.4.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर	V.T (Deputation Adv प्यारेलाल सिंह)
13.4.22 बकुलाप उप. । वास्ते पेश करने व.नामा दि. 28/4/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर 28/4/22 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष ... पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य में व्यस्त है। दिनांक 27/4/22 को पेश हो। 28/4/22 बकुलाप उप. । वास्ते जवाब दि. 27.4.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27/4/22	अनुसार उप./ मूल वाद के साथ दिनांक 5/5/22 को पेश हो/ उपखण्ड अधिकारी अलवर
5/5/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 12/5/22 को पेश हो। रीडर
12-7-22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 28-7-22 को पेश हो। रीडर
28-7-22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 12-8-22 को पेश हो। रीडर
12-8-22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 9-9-22 को पेश हो। रीडर
9-9-22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 29-9-22 को पेश हो। रीडर
29.9-22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 4-11-22 को पेश हो। रीडर
4-11-22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 2-2-23 को पेश हो। रीडर

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

2-2-23
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक 15-6-23
को पेश हो।
रीडर

15-6-23
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक 21-6-23
को पेश हो।
रीडर

21-6-23
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक 26-6-23
को पेश हो।
रीडर

26-6-23
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक 5-7-23
को पेश हो।
रीडर

5-7-23
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक 14-10-23
को पेश हो।
रीडर

14-10-23
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक 4-1-24
को पेश हो।
रीडर

4-1-24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक 8-2-24
को पेश हो।
रीडर

8-2-24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक 20-2-24
को पेश हो।
रीडर

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	20-2-24 पत्रावली पर। हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 1-4-24 को पेश हो। रीडर
	1-4-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 29-5-24 को पेश हो। रीडर
	29.5.24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 26-6-24 को पेश हो। रीडर
	26.6.24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 31-7-24 को पेश हो। रीडर
	31.7.24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 20-8-24 को पेश हो। रीडर
	20.8.24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 11-9-24 को पेश हो। रीडर
	11-9-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 25-9-24 को पेश हो। रीडर

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.9.24 पत्रावली पेश हुई। समय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। दिनांक 1-10-24 को पेश हो। [illegible]	
01/10/24 पत्रावली पेश हुई वादी / वकील वादी अनुपस्थित, बार-बार आवाज लगाई कोई भी उपस्थित नही हुआ पुनः दोपहर बाद आवाज लगाई गई कोई भी उपस्थित नही हुआ अतः वाद वादी अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। [signature] उपखण्ड अधिकारी अलवर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर
न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प बहादरपुर

दावा संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
1/39	17.05.2018	17.05.2018

बउनवान

1. पूरणसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी जाहरखेडा ।

बनाम

1. हनीफ वगैराह जाति मेव निवासी जाहरखेडा।

दावा अन्तर्गत धारा 183 राज.
काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प उप तहसील परिसर बहादरपुर में पेश हुई। दावा अन्तर्गत धारा 183 राज.काश्त.अधिनियम दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जा काश्तकारी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 54 रकबा 0.47 है0, 74 रकबा 0.52 है0 34 रकबा 0.84 है, वाके ग्राम जाहरखेडा तहसील अलवर के काबिज काश्तकार है।

प्रार्थीगण की आराजी के पडौसी काश्तकार सत्तार, जमीर आजाद, शहजाद, पुत्रान राजमल मेव, हनीफ पुत्र सफेदा, निवासीयान ग्राम जाहर खेडा प्रार्थीगण को अनकी कब्जे काश्तकारी खातेदारी की आराजी में काश्त नही करने देते है। उक्त व्यक्ति प्रार्थीगण की आराजीयात की फसल को पलट देते है। और जबरन कब्जा करने की जुस्तजू में है। तथा उक्त आराजीयात को जबरन लठ्ठ के बल पर अपने खेतो में मिलाने का बेजा प्रयास कर रहे है। उक्त लोगो ने अपने पूर्वज राजमल से एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी अलवर के न्यायालय में दायर करवाया था जो वाद भी खारिज हो चुका है। इससे उक्त लोग ओर भी चिढ गये है। इनके मन में लालच आ गया है। तथा उक्त लोगो को समझाने पर मरने मारने पर आमादा हो जाते है। इस कदर मौके पर अशान्ती का माहौल बना हुआ है। तथा हम प्रार्थीगण की जान माल का खतरा है। हमारे पास उक्त आराजीयान पर कार्य काश्त कर जीवन यापन करने के अलावा अन्य कोई आय का स्त्रोत नहीं है। हमारे सामने रोजी–रोटी

मीलान सक्सेना
I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

Scanned with OKEN Scanner

ा संकट पैदा हो गया है। हम प्रार्थीगण बाहर गंगानगर रहते है। और समय–समय पर ...र उक्त आराजी की देखभाल करते है। व जोत बाह करते है। लेकिन उक्त अप्रार्थीगण ...मारी उक्त आराजी को हडपना चाहते है।

अतः प्रकरण प्रस्तुत कर उक्त हालात व तथ्यों पर गौर किया जाकर न्यायहित में उक्त आराजीयान पर जरिये पुलिस इमदाद, तहसीलदार द्वारा काश्त करवाये जाने, फसल बुवाई, कटाई, जोत बाह आदि की व्यवस्था कराये जाने व उक्त लोगो को पाबंद करने का निवेदन किया।

प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर उप तहसीलदार बहादरपुर से रिपोर्ट ली गई। उप तहसीलदार बहादरपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि आ0ख0नं0 34 रकबा 0.84, 54 रकबा 0.47 है0 74 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम जाहरखेडा पूरणसिंह पुत्र चढतसिंह वगैरा जाति राजपूत के खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं उक्त आराजी में से ख0नं0 34 रकबा 0.84 है0 में हनीफ हुसेन पि0 सफेदा मेव सा0 जाहरखेडा ख0नं0 54 रकबा 0.47 है में सत्तार, जामील, पि0 राजमल जाति मेव सा0 जाहरखेडा तथा ख0नं0 74 रकबा 0.52 है0 में आजाद, शहजाद पि0 राजमल मेव सा जाहरखेडा का कब्जा है।

हमने न्याय आपके द्वार के अन्तर्गत प्रार्थीगण को सुना/ उपतहसीलदार बहादरपुर की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। उप तहसीलदार बहादरपुर ने अपनी रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण की आराजी पर दीगर व्यक्ति हनीफ हुसेन पि0 सफेदा मेव सत्तार, जीमल पि0 राजमल जाति मेव निवासी जाहरखेडा का कब्जा होना अंकित किया है।

विवादित आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 0.84 है0, 54 रकबा 0.47 है0 74 रकबा 0.52 है0 मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2072–75 वाके ग्राम जाहरखेडा पर पूरणसिंह, पुत्र चढतसिंह हि0 1/2, खेमकौर पत्नि स्व0 भगवानसिंह महंगासिंह, सुन्दरसिंह, करणसिंह, शेरसिंह, कृष्णसिंह, इन्दरसिंह पि0 भगवानसिंह हि0 7/9 शीलाबाई पुत्री भगवानसिंह हि0 1/9 मांगोबाई पत्नि स्व0 चरणसिंह लक्ष्मण, रामसिंह, श्यामसिंह पि0 चरणसिंह, लक्ष्मी पुत्री चरणसिंह हि0 1/9 दर हि0 1/2 कौम राजपूत खातेदारान दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी इस न्यायालय में एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद राजमल बनाम पूरणसिंह प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद के साथ प्रा0पत्र 212 आरटी एक्ट भी प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2015 को अप्रार्थीगण के मुफालखाना कब्जा(एडवर्स–पजेशन) के

I.A.S.

Scanned with OKEN Scanner

धार पर रिकॉर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद नहीं करते हुए प्रार्थना पत्र 212 ी एक्ट खारिज के आदेश पारित हुये। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट ता है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है जिस पर अप्रार्थीगण का नाधिकृत कब्जा है। उक्त अनाधिकृत कब्जे को हटवाया जाकर प्रार्थीगण को कब्जा लवाया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम वीकार किया जाता हे। अप्रार्थीगण को आ0ख0नं0 34 रकबा 0.84 है0, 54 रकबा 0.47 है0 4 रकबा 0.52 है0 वाकेग्राम जाहरखेडा से बेदखल किया जाता है। उप तहसीलदार हादरपुर को अहकाम जारी हो कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 34 रकबा 0.84 है0, 54 कबा 0.47 है0 74 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम जाहरखेडा से अप्रार्थीगण का जर्ये पुलिस मदाद कब्जा हटवाया जाकर प्रार्थीगण को विवादित का कब्जा संभलवाया जावे। पालना रिपोर्ट से 07 दिवस में न्यायालय को अवगत करावे।

नीलाभ श्रीवास्तव
I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

राजस्व लोक अदालत

Scanned with OKEN Scanner

28-848

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर (राज०) (1)

क्रमांक :- 123 दिनाक :- 06.08.18

वास्ते उप खण्ड अधिकारी अलवर

विषयः- सत्तार बनाम पूरण सिंह

अपील विरूद्ध आदेश SDO अलवर दिनांक 22/6/2014

उक्त विषयक प्रकरण का निस्तारण दिनांक 16/7/18 को रिमाण्ड होने के पश्चात आपके यहां की पत्रावली निम्नानुसार आपको वापिस लौटाई जा रही है। प्राप्ति से अवगत करायें ।

संलग्न (1) मि० नं० 1/39/18
पूरणसिंह – इन्तीफा

(2) 1/61/15, 2/35/15
राजमल – पूरणसिंह

(3) निर्णय प्रति RAA
दिनांक 16/7/18

राजस्व अपील प्रधिकारी,
राजस्व अपील अधिकारी
अलवर

7. कृष्णसिंह पुत्र भगवानसिंह,
8. इन्दरसिंह पुत्र भगवानसिंह,
9. सीताबाई पुत्री भगवानसिंह,
10. मंगो बाई पत्नि स्व0 चनणसिंह,
11. लक्ष्मणसिंह पुत्र चनणसिंह,
12. रामसिंह पुत्र चनणसिंह,
13. श्यामसिंह पुत्र चनणसिंह,
14. लक्ष्मी पुत्री चनणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जाहरखेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0 ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर राज0 ।
16. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर ।
17. उप तहसीलदार बहादरपुर अलवर ।

.... रेस्पोडेन्टान

फोटो स्टेट
सत्य-प्रतिलिपि
राजस्व अपील अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 04/2018 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

सत्तार पुत्र स्व0 राजमल,
जमील पुत्र स्व0 राजमल,
आजाद पुत्र स्व0 राजमल,
शहजाद पुत्र स्व0 राजमल जाति मेव निवासीयान ग्राम जाहरखेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. पूरणसिंह पुत्र चढ़तासिंह राजपूत,
2. श्रीमती खेम कौर पत्नि स्व0 भगवानसिंह राजपूत,
3. महंगासिंह पुत्र भगवानसिंह,
4. सुन्दरसिंह पुत्र भगवानसिंह,
5. कर्मसिंह पुत्र भगवानसिंह,
6. शेरसिंह पुत्र भगवानसिंह,
7. कृष्णसिंह पुत्र भगवानसिंह,
8. इन्दरसिंह पुत्र भगवानसिंह,
9. सीताबाई पुत्री भगवानसिंह,
10. मंगो बाई पत्नि स्व0 चनणसिंह,
11. लक्ष्मणसिंह पुत्र चनणसिंह,
12. रामसिंह पुत्र चनणसिंह,
13. श्यामसिंह पुत्र चनणसिंह,
14. लक्ष्मी पुत्री चनणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जाहरखेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0 ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर राज0 ।
16. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर ।
17. उप तहसीलदार बहादरपुर अलवर ।

..... रेस्पोडेन्टान

फोटो स्टेट
सत्य-प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

(3)

बउनवान सत्तार बनाम पूरणसिंह
अपील सं0 04/2018

उपस्थित :–

1. श्री रामवीरसिंह नरूका अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जगदीश चन्द सतीजा अभिभाषक रेस्पो0 ।
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 16.07.2018

यह अपील विद्धान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दि0 22.6.2017 एवं 17.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस्तकरारहक इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 54 रकबा 47 ऐयर, 74 रकबा 52 ऐयर वाके ग्राम जाहरखेड़ा तहसील अलवर का वादी काबिज काश्तकार खातेदार है व हटाये जाने इन्द्राज कागजात माल में से प्रतिवादीगण व दर्ज किये जाने इन्द्राज वादी बहैसियत खातेदार काश्तकार के व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की कि प्रतिवादीगण वादी को उक्त आराजी में कार्य काश्त करने, फसल काटने, समेटने, लाने व ले जाने में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें तथा ना ही उक्त आराजी को गलत इन्द्राज के आधार पर रेहन, बय आदि के द्वारा मुन्तकिल करें व कब्जा करने से बाज आवें । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.6.2017 को न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट सिरमोली में पेश होने पर वाद वादी के फौत होने के 6 माह बाद भी वादी के फौत होने की सूचना/प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल पेश नहीं करने पर कैम्प कोर्ट में खारिज कर दिया तथा दावा सं0 1/39 बउनवान पूरणसिंह बनाम हनीफ वगैरा में न्याय आपके द्वारा कैम्प उप तहसील परिसर बहादरपुर में दिनांक 17.05.2018 को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट एक ही दिन में दर्ज करके उसी दिन स्वीकार कर लिया व विवादित आराजी से अप्रार्थीगण को जर्ये पुलिस इमदाद कब्जा हटवाया जाकर प्रार्थीगण को विवादित आराजी का कब्जा सम्भलवाया जावें के आदेश पारित कर दिये जिस निर्णय दि0 22.6.2017 व 17.05.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने बहस की शुरूआत करते हुए कहा कि प्रकरण सं0 1/61 राजमल (मृतक) बनाम पूरणसिंह में दौराने दावा वादी (अपीलांट के पिता राजमल) फौत हो गया तथा कैम्प कोर्ट सिरमोली में तहत न्यायालय ने वाद वादी अपीलांट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादी के फौत होने के कारण वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 पेश नहीं किया गया जबकि यह निर्णय दिनांक 22.6.2017 से वादी अनजान था । उसे कैम्प की सूचना नहीं दी गयी । सरपंच के प्रार्थना पत्र पर वाद वादी नियम विरूद्ध खारिज किया था । बहस में आगे कहा कि दिनांक 17.05.2018 को पूरणसिंह ने हम अपीलांट के विरूद्ध न्यायालय आपके द्वारा कैम्प उप तहसील बहादरपुर में प्रकरण 183 आर.टी.एक्ट के तहत दर्ज किया है और उसी दिन धारा 183 आर.टी.एक्ट में

फोटो स्टेट
सत्य-प्रतिलिपि
... प्रतिलिपि प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

र्णय पारित कर दिया । इस प्रार्थना पत्र 183 आर.टी.एक्ट में न तो हमें सुना गया और न हमें निर्णय की जानकारी दी गई । जब आदेश की पालना करवानी चाही तो हमें पुराने द की भी जानकारी हुई । अब वादी/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र याद अधिनियम दफा 5 के साथ यह अपील इस आधार पर पेश की है कि उनवानी प्रकरण /96 राजमल बनाम पूरणसिंह निर्णय दिनांक 22.06.2017 विधि विरूद्ध व न्याय के सिद्धान्त विपरीत है । अपीलांट के पिता राजमल वादी के फौत होने पर उनके वारिसान को पक्षकार क़दमा बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए । अपीलांट/वादी को अपना वाद सिद्ध करने ं रेकार्ड व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी पर अपीलांट/वादी का कब्जा काश्त हैं तथा वादी/अपीलांट ने ातेदारी प्रदान करने के लिए वाद दायर किया है ।

आगे बहस में कहा कि पूरणसिंह के प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक .05.2018 को 183 आर.टी.एक्ट का दावा स्वीकार करके हम अपीलांट को सुने बिना ही सी दिन दिनांक 17.05.2018 को निर्णय पारित कर दिया, वह भी विधि विरूद्ध है । उस करण में हम अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया तथा न ही हमें सुना गया और हम अपीलांट विरूद्ध गलत निर्णय पारित कर दिया । हम अपीलांट विवादित आराजी पर दस्तावेजों के श्यम से लम्बे समय से कब्जे काश्त में हैं । अतः न्याय का सिद्धान्त है कि हम अपीलांट को सुनकर निर्णय पारित करना चाहिए । पुनः कहां कि 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार रेकर तथा देरी के जो सही कारण बताये हैं, उनके आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की ावें तथा अधीनस्थ न्यायालय के दोनों आदेश दिनांक 22.06.2017 एवं 17.05.2018 को निरस्त ोषित किया जावें ।

प्रतिउत्तर में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि कानूनी बिन्दु यह है कि आदेश दि0 2.6.2017 व 17.05.2018 को अपीलांट ने चैलेन्ज किया है । दि0 22.06.2017 का आदेश बैटमेन्ट के संबंध में है तथा दि0 17.5.2018 का आदेश 183 आर.टी.एक्ट के संबंध में है । नों आदेशों को एक ही अपील से सैटएसाईड नहीं किया जा सकता है । वादी का यह दावा बैट हो चुका है और वादी का यह कहना कि उन्हें पता नहीं है, यह गलत हैं । इस संबंध तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कराया । दावा एडवर्श पजेशन के आधार पर ा जबकि अपील में खरीदशुदा बता रहे हैं । अपील में ये बिन्दू कहीं पर भी नहीं है । दावे में न तथ्यों को नहीं उठाया है । यदि इनका एग्रीमेन्ट है तो सिविल कोर्ट में जाते जबकि तहत ायालय में यह बिन्दू नहीं था । रेस्पो0 का कब्जा मानकर 183 आर.टी.एक्ट में तहत ायालय ने आदेश किया है ।

अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है जिसमें उचित कारण नहीं बताये हैं । दि0 3.12.2017 की आदेशिका पेश की जिसमें दावा खारिज होने पर 212 आर.टी.एक्ट की अपील श की है । इसलिए इससे यह सिद्ध है कि दावा के निर्णय का अपीलांट को पता था । सलिए इस अपील में यह कैसे कह सकते हैं कि उन्हें वाद के निर्णय का पता ही नहीं है । ई 2018 में दावा खारिज होने की जानकारी बता रहे हैं । अतः इस अपील में ये दि0 2.6.2017 के निर्णय की रीलीफ नहीं ले सकते है तथा दि0 17.5.2018 के निर्णय को इसमें ामिल नहीं कर सकते हैं । कानूनी बिन्दु अनुसार दोनों निर्णयों की एक अपील नहीं कर सकते हैं । क्या वारिसान की ओर से अपील पेश करने से अबैटमेन्ट सैटएसाईड हो सकता

टी स्टेट
प्रतिलिपि

Scanned with OKEN Scanner

? अपीलांट को अपील का प्रावधान ही नहीं है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत र्णय पारित किये हैं जिनमें कोई त्रुटि नहीं है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

उन्होंने अपने समर्थन में 2018 आर.आर.टी. पेज 482, 2016 आर.आर.डी. पेज 464, 017 आर.आर.डी. पेज 770, 352, ए.आई.आर. 1996 पेज 910 एवं आर.आर.डी. 2006 पेज 26 ाश की ।

जवाबुल जवाब में अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि वारिसान की ओर से 212 आर. ी.एक्ट के निर्णय की कोई अपील नहीं है तथा न ही प्रार्थना पत्र है कि दावा खारिज हो ाया । अपीलांट ने कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया । तहत न्यायालय ने दावा अबैटमेन्ट होने के आधार पर खारिज किया हो ऐसा नहीं है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया । अपील के तथ्यों के अवलोकन से यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दि0 22.6.2017 को पारित निर्णय गुणावगुण पर नहीं है, केवल वादी की मृत्यु के कारण तथा समय पर कायम मुकामान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 पेश नहीं करने पर वादी न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट में खारिज किया है । द्वितीय निर्णय दि0 17.05.2018 को इसी आराजी से वादी/अपीलांट को बेदखल करके 183 आर.टी.एक्ट के तहत कब्जा देने बाबत पारित आदेश है । यह आदेश भी अपीलांट को बिना सुने तथा प्रकरण को उसी दिन ही कैम्प कोर्ट में दर्ज करके निर्णय पारित किया है ।

यहां पर इस निर्णय का अवलोकन करने पर पाते हैं कि जब अपीलांट का मौके पर कब्जा काश्त है तथा चाहे वह सहमति से कब्जा हो या अवैद्य कब्जा, यदि लम्बे अर्से दराज से कब्जा है और इस संबंध में न्यायालय में वाद भी विचाराधीन रहे हैं तो न्यायालय का मत है कि उभयपक्षों को सुनकर ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए ।

द्वितीय बिन्दू यह भी है कि यदि पूर्व का वाद 1/61 राजमल बनाम पूरणसिंह गुणावगुण पर सुनवाई में चल रहा होता तो धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत वाद/प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता था और न ही एकपक्षीय आदेश ही पारित होता ।

प्रार्थी द्वारा इस संबंध में 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र व मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र तथा दोनों ही निर्णय एक ही पक्षकार एवं एक समान आराजी के होने से प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक साथ निर्णय किया जाना कानून सम्मत है । अतः प्रार्थना पत्र व अपील काबिल स्वीकार योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 22.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को पक्षकार मुकदमा बनाकर शीघ्र निर्णय पारित करें । चूंकि निर्णय दि0 17.05.2018 भी इन्हीं पक्षकारान व वही आराजी का है तथा इसमें भी अपीलांट को नहीं सुना गया । एसी स्थिति में दोनों ही प्रकरणों को एक साथ करके निर्णय पारित किया है ।

उभयपक्षों को पावन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के न्यायालय में दिनांक 06.08.2018 को उपस्थित हो । तहत अदालत उभयपक्षों को सुनकर गुणावगुण व शीघ्र निर्णय पारित करें । खर्चा अपना-अपना वहन करें ।

फोटो स्टेट
त्य-प्रतिलिपि

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Sd-
(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

फोटो स्टेट
सत्य-प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner